39

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2021-22)' के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

उनतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

उनतालीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(**सत्रहवीं लोक सभा**)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2021-22)' के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

3 अगस्त, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

3 अगस्त, 2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना.....

प्राक्कथन.....

अध्याय- एक	प्रतिवेदन .....
अध्याय- दो	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है .....
अध्याय- तीन	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती...
अध्याय- चार	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं .....
अध्याय –पांच	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं .....

अनुबंध

समिति की 29 जुलाई , 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

परिशिष्ट

अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण.....

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
8. श्रीमती सुनीता दुग्गल
9. श्री गौरव गोगोई
10. श्री सुधीर गुप्ता
11. रिक्त
12. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
13. श्री पिनाकी मिश्रा
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. प्रो. सौगत राय
16. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
17. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
20. श्री राजेश वर्मा
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. रिक्त
23. श्री ए. नवनीतकृष्णन
24. श्री प्रफुल्ल पटेल
25. श्री अमर पटनायक
26. श्री महेश पोद्दार
27. श्री सी. एम. रमेश
28. श्री बिकास रंजन
29. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुँग - अवर सचिव

<u>प्राक्कथन</u>

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. उनतीसवाँ प्रतिवेदन 16 मार्च , 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण सरकार से उनके 6 जून , 2021 के पत्र द्वारा प्राप्त किए गए।

3. समिति ने 29 जुलाई , 2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

5. संदर्भ सुविधा हेतु, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
<u>29 जुलाई , 2021</u>
7 श्रावण , 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021 -22) के संबंध में समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है ,जो 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

2. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 6 सिफारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इनका विश्लेषण और श्रेणीकरण निम्नवत् रूप से किया गया है-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
सिफारिश सं. 1,2,3,4,5 और 6

(कुल:6)
(अध्याय-दो)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
शून्य

(कुल :शून्य)
(अध्याय-तीन)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
शून्य

(कुल : शून्य)
(अध्याय-चार)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
शून्य

(कुल शून्य)
(अध्याय-पाँच)

3. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में उत्तर यथाशीघ्र समिति को भेजे जाएं।

4. अब समिति अपनी कुछ सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी और उन पर टिप्पणी देगी।

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

5. समिति जानती है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध द्वारा कार्यान्वित एक चालू केंद्रीय क्षेत्र योजना है। (एमपीलैड्स) में लोकसभा और राज्य सभा दोनों के 790 माननीय संसद सदस्यों के लिए 5 करोड़ रु. प्रति संसद सदस्य (प्रति वर्ष) की पात्रता के अनुसार 3950.00 करोड़ रु. की धनराशि का वार्षिक आवंटन नियत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा अनुदानों की मांग (2021-22) के सार और विश्लेषण में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकरणों के लिए जारी की गई निधियां व्यपगत नहीं हैं और इस प्रकार जिलों में बची निधियों को बाद के वर्षों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा गैर-निर्मुक्त निधियों को निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन बाद के वर्षों में जारी किया जाएगा। समिति ने यह भी पाया है कि निधि व्यय वर्ष 2018-19 के दौरान 5012.13 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2491.45 करोड़ रु. था अर्थात वर्ष 2019-20 में निधि व्यय वर्ष 2018-19 में निधि व्यय का केवल 49.70% था। समिति यह भी समझती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 अप्रैल, 2020 के निर्णय के अनुसरण में एमपीलैड्स के परिचालन को 2 वित्तीय वर्षों अर्थात 2020-21 और 2021-22 के लिए निलंबित कर दिया गया है और वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रबंधन के लिए 3950 करोड़ रु. (2020-21 का बजट आकलन के परिव्यय को दिनांक 8 अप्रैल, 2020 को व्यय विभाग के निपटान पर रख दिया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रबंधन के लिए व्यय विभाग के निपटान पर एमपीलैड्स निधियों को रखने हेतु मूल कारण को स्वीकार करते हुए समिति इस बात पर प्रकाश डालना चाहेगी कि वर्ष 2019-20 और विगत वित्तीय वर्षों में ऐसी कई एमपीलैड्स परियोजनाएं हैं, जो संस्वीकृत पत्र जारी किए जाने के बावजूद बीच में ही अधूरी छोड़ दी गई थीं और दिनांक 6 अप्रैल, 2020 को मंत्रिमंडल के निर्णय का हवाला देते हुए इन परियोजनाओं के लिए निधियां रोक दी गई थीं। इसलिए मंत्रालय उन निधियों को जारी करने पर विचार कर सकता है जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए विधित: संस्वीकृत की गई थीं, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पहले से जारी की गई निधियों को बिना किसी विलंब के उपयोग किया जाए। इस प्रकार के व्यय से उन लोगों पर सकारात्मक असर पड़ने की आशा है जो देश भर में फैली वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। समिति इस संबंध में बताना चाहेगी कि एमपीलैड्स परियोजनाओं ने अपनी शुरूआत से ही, जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट,2020-21 में उल्लिखित है, "विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं

यथा पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, सामुदायिक केंद्रों, जल, पुस्तकालय, बस अड्डा/स्टॉप, रोड, मार्ग और पुल, खेल आदि को पूरा करके स्थानीय समुदाय को लाभान्वित किया है।" समिति महसूस करती है कि एमपीलैड्स योजनाएं निश्चित रूप से वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित स्थानीय समुदाय को राहत देने में मदद कर सकती है। इसलिए समिति मंत्रालय से कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से मिलकर कार्य करने का आग्रह करना चाहेगी ताकि पिछले वर्षों के लिए पहले से ही संस्वीकृत निधियां आगामी वित्तीय वर्षों के लिए प्रभावी रूप से उपयोग की जा सकें। लंबित निधियां उन परियोजनाओं से संबंधित हैं जिसके लिए माननीय सांसद जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसलिए इन निधियों को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाना चाहिए।

6. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया :-

"वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एमपीलैड्स के अंतर्गत 31.03.2020 तक की अनिर्मोचित किश्तों का मामला बार-बार एमपीलैड्स (लोकसभा और राज्य सभा दोनों)पर समिति, प्रक्कलन समिति और संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति द्वारा उठाया गया था और इसमें विशेष रूप से वांछित था कि 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अनिर्मोचित किश्तों के मामले को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए, जिसका अधिदेश कार्य आबँटन नियम, 1961 के अनुसार बाद के वित्त आयोगों द्वारा उन्नयन अनुदानो, ग्रामीण/स्थानीय निकायों और अन्य अनुदानों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करना है। ऐसी अनिर्मोचित किश्तों को जारी करने के लिए बहुत से संसद सदस्यों से निरंतर आधार पर अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।"

व्यय विभाग के दिनांक 16.03.2021 के का.ज्ञा. सं. 56(02)/पीएफ-II/2006(पार्ट) द्वारा मंत्रालय को कुल 2200 करोड़ रुपये की राशि निम्नलिखित शर्तों के साथ आवंटित की गई थी:

(i)लोकसभा सदस्यों के संबंध में 2019-20 के लिए लंबित किश्तों के निर्मोचन को पहली प्राथमिकता मिलेगी;

(ii) राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में 2019-20 के लिए लंबित किश्तों को जारी करने को पहली प्राथमिकता मिलेगी;

(iii) मंत्रालय पूर्व सदस्यों के खातों के नियोजन और उन्हें बंद करने की चल रही प्रक्रिया को जारी रखेगा क्योंकि पूर्व वर्षों के लिए कोई निर्मोचन नहीं किए जाएंगे;

(iv) मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में इस आशय के संशोधन पर विचार करेगा कि यदि किसी सांसद द्वारा स्वीकृत कार्य को पांच साल तक नहीं किया जाता है, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और भले ही एमपीलैड्स दिशानिर्देशोंके पैरा 2.6 और पैरा 4.7 से 4.10 के अधीन काम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध देयता हो।

मंत्रालय से छह महीने के भीतर उपरोक्त (iii) और (iv) कार्य पूरा करने का अनुरोध किया गया है। व्यय विभाग के दिनांक 16.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 22.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा मंत्रालय को 2200 करोड़ रु. आबंटित किए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में आबंटित राशि को खर्च करने/निकासी का निदेश दिया, ताकि राशि व्यपगत न हो सके। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में आवंटित 2200 करोड़ रु. के उपयोग और लंबित किस्तों को अधिकतम संख्या में जारी करने के लिए अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास किए हैं।

व्यय विभाग के दिनांक 16.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 56(02)/पीएफ-।।/2006 (पार्ट) में निर्धारित निर्मोचन के लिए शर्तों के अनुसरण में मंत्रालय ने 2200 करोड़ रु. की आबंटित धनराशि में से 1107.5 करोड़ रु. (=443 किस्तें) जारी की हैं। इन 1107.5 करोड़ रु. में से, 900 करोड़ रु. वर्ष 2019-20 की लंबित किस्तों के लिए जारी किए गए और 207.5 करोड़ रु. लोक सभा और राज्य सभा सांसदों के लिए नोडल जिला प्राधिकारियों हेतु पिछले वर्षों की लंबित किस्तों के लिए जारी किए गए। समिति इस बात की सराहना करती है कि दिनांक 22.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त आबंटन पत्र के अनुसार मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 के विगत कुछ दिनों में 1107.5 करोड़ रु. जारी करने में सक्षम हो गया है। आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार शेष निधि (2200 करोड़ रु. – 1107.5 करोड़ रु. = 1092.50 करोड़ रु.) 31.03.2021 को व्यपगत हो गई।

मंत्रालय उन सभी किस्तों का भुगतान करने में भी सक्षम था जिनके लिए एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड पूरे किए गए थे और सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध थे। दिनांक 31.03.2021 अपराह्न तक मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए सभी निर्मुक्ति प्रस्ताव, जो पात्र पाए गए, का भुगतान कर दिया गया है। केवल वे प्रस्ताव, जो दस्तावेजों की कमी और एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा न करने के कारण पात्र नहीं पाए गए तथा वे जिले, जहां पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा चुनाव और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उप चुनावों के कारण आचार संहिता लागू की गई थी, मंत्रालय लंबित किस्तें जारी करने में सक्षम नहीं था।

तथापि, दिनांक 7 अप्रैल 2021 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, मंत्रालय ने व्यय विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष निधियों का आबंटन करने का अनुरोध किया है ताकि मंत्रालय द्वारा शेष लंबित किस्तें जारी की जा सकें। दिनांक 31.03.2021 तक देय शेष लंबित एमपीलैड्स किस्तें, मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय से आबंटित धनराशि की प्राप्ति और एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड तथा पात्रता दस्तावेजों के पूरा करने के अध्यधीन जारी की जाएंगी।

मंत्रालय राज्यों और नोडल जिलों के साथ निरंतर सम्पर्क में है ताकि एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोडल जिला प्राधिकारियों के लिए एमपीलैड्स द्वारा जारी की गई निधियों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके और सभी प्रतिबद्ध देयताओं का शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रूप से भुगतान किया जा सके तथा चालू कार्यों को पूरा किया जा सके।

7. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि व्यय विभाग के दिनांक 16.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को मंत्रालय को 2200 करोड़ रु. आबंटित किए गए। वित्त मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को निदेश दिया गया कि इस आबंटन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के भीतर ही खर्च/व्यय किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आबंटन व्यपगत न हो। समिति को आगे यह बताया गया कि 2200 करोड़ रुपये के आबंटन में से,सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 1107.50 करोड़ रुपये निर्मुक्त कर पाया जिससे1092.50 करोड़ रुपये की शेष राशि व्यपगत हो गई। समिति समझ नहीं पाती है कि वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति से केवल एक सप्ताह पहले सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को 2200 करोड़ रुपये आबंटित करने के क्या कारण थे। समिति आशा करती है कि मंत्रालय ऐसी तदर्थता से बचेंगे। एमपीलैडस निधि प्रबंधन के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अधिक सक्रिय होना चाहिए और भविष्य में वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त धनराशि निर्मुक्त करने से बचना चाहिए। इससे वित्तीय प्रबंधन में गंभीर चूक होती है साथ ही इसके नकारात्मक परिणामों का असर पूरे भारत के समुदायों पर पड़ता है।

सिफारिश (क्रम संख्या सं. 5)

8. समिति लंबे से महसूस हो रही कर्मचारियों की कमी के विषय में चिंतित है। उदाहरण के लिए क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) में वर्ष 2019-20 में कार्यरत कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 4389 की तुलना में

यह संख्या 3121 थी, वर्ष 2020-21 में यह स्वीकृत संख्या 4385 की तुलना में यह संख्या 3453 थी और वर्ष 2021-22 में यह स्वीकृत संख्या 4346 की तुलना में 3256 है। मंत्रालय के अन्य विभागों/स्कंधों में कर्मचारियों की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। कर्मचारियों की इस कमी के लिए मंत्रालय ने कारण बताया है कि पिछले दो वर्षों में अनेक अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अभी रिक्त पदों को भरा जाना है तथा भर्ती नियमों के अनुसार कुछ पद यूपीएससी/एसएससी द्वारा भरे जाने हैं।

9. यद्यपि मंत्रालय ने अपने यहां कर्मचारियों की कमी के अनेक कारण बताएं हैं फिर भी समिति का विचार है कि मंत्रालय ने मानव संसाधन नियोजन और विकास के संबंध में पर्याप्त कार्य नहीं किया है। अत: समिति चाहती है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपनी श्रम शक्ति नीति पर अधिक ध्यान देना चाहिए और मंत्रालय में अनेक वर्षों तक रिक्त पदों को खाली छोड़ने से बचना चाहिए।

10. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया :-

"मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:

- प्रवेश स्तर पर अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) संवर्ग के कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) के पद खुली प्रतियोगिता नामत: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से भरे जाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के स्तर पर रिक्तियों की भर्ती के लिए नियमित रूप से सूचित किया जाता है। एसएससी को वर्ष 2019 और 2020 के लिए रिक्तियों की सूचना को पहले ही दी जा चुकी है। सीजीएलई 2018 के आधार पर जेएसओ के पद पर नियुक्ति एसएससी से इस मंत्रालय को उनका नामांकन और आवश्यक दस्तावेज यथा डॉसियर आदि प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी।
- वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद जेएसओ के प्रमोशनल पद हैं। (एसएसओ) मंत्रालय हर संभव प्रयास करता है कि पदोन्नति के सम्बन्ध में समय पर कारवाई की जा सके। वर्ष 2021 में जेएसओ से एसएसओ के स्तर पर सभी अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया पहले से ही प्रक्रियाधीन है।
- एसएसएस के भर्ती नियमों में संशोधन भी प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

- यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एसएसएस अधिकारियों के वेतनमान उसी प्रकार के संगठित समूह-बी सेवाओं के अनुरूप नहीं हैं, जो एसएसएस में उच्च संघर्शण दर के प्रमुख कारणों में से एक है। सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए और जेएसओ के स्तर पर संघर्शण की दर को कम करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस मंत्रालय के आईडी नोट संख्या 12035/02/2010-एसएसएस दिनांक 05.09.2016 के द्वारा सचिवों की समिति (सीओएस) में ग्रेड पे को 4200 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये करने के मुद्दे को उठाया था, सीओएस का निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है।
- इस मंत्रालय का यह सुविचारित मत है कि एसएसएस के जेएसओ को 4600 रुपये (लेवल -7) का ग्रेडवेतन (जीपी) और एसएसएस के एसएसओ को 4800 रुपये (स्तर -8) का ग्रेड वेतन प्रदान करना एसएसएस की उच्च संघर्शण दर को प्रभावी ढंग से कम करने में सहायक होगा और इससे सेवा को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। सेवा को अधिक आकर्षक बनाने और पुनरावृत्ति दर को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से समान रूप से संगठित समूह बी सेवाओं के समान वेतन स्तर उन्नयन का मामला विचाराधीन है।
- एसएसएस प्रभाग सहभागी संगठनों के साथ मंत्रणा कर रहा है ताकि देश की सांख्यिकीय प्रणाली केक्षेत्र बुनियादी/स्तर के सांख्यिकीय कार्यकर्ताओं की जनसंसाधन के प्रबंधन को सरल बनाने के लिए संवर्गसमीक्षा के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाए।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय का एक उप-संवर्ग है और इसलिए,अधिकारी/कर्मचारी केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) (सहायक अनुभाग अधिकारी), केंद्रीयसचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) (आशु-डी और पीए) के अधिकारी/कर्मचारी औरकेंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) (वरिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठसचिवालय सहायक) को इस मंत्रालय के प्रशासन- ॥ अनुभाग में गृह मंत्रालय द्वारा तैनात किया जाता है। पिछले दो वर्षों में, इनसंवर्गों के कई अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिकसेवानिवृत्ति/मृत्यु/पदोन्नति/पदोन्नति पर स्थानांतरणहुआ है जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कई पद खाली पड़े हैं और गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें नहीं भरा गयाहै।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उप-संवर्ग को अलग करने से संबंधित मामले कोकार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी&टी) के साथ उठाया गया है। नियमित पत्राचार भेजने के साथ-साथ डीओपी&टीऔर गृह मंत्रालय के साथ बैठक कर मामले में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से आवश्यक जानकारी डीओपी&टीको पहले ही प्रदान कर दी गई है। डीओपी&टीके पास मामला फिलहाल लंबित है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मुख्य) में एमटीएस ग्रेड के रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में, एमओएस एंड पीआई (मुख्य) में एमटीएस ग्रेड में 33 रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारीचयन आयोग को पहले ही मांग भेजी जा चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग के जवाब का अभी भी प्रतीक्षित है।"

11. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)ने अपने उत्तर में बताया है कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2018 के आधार पर कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) के पद पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) से उनका नामांकन और आवश्यक दस्तावेज मंत्रालय को प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वर्ष 2019 और 2020 के लिए रिक्तियों की सूचना कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को पहले ही दी जा चुकी है। समिति को आगे बताया गया है कि अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के अधिकारियों को अन्य विभागों में समान रूप से पदस्थ समूह 'बी' सेवा अधिकारियों की तुलना में समानुपातिक वेतनमान नहीं दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा छोड़ कर जाने वालों की दर अधिक है। समिति जनशक्ति की कमी के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों को स्वीकार नहीं करना चाहती,जो मंत्रालय का एक पुराना मुद्दा बन गया है। समिति इस उत्तर से समझती है कि रिक्त पदों को भरने में तीन वर्ष से अधिक का समय लगता है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय उचित जनशक्ति नियोजन नीति का अनुपालन करे, आगामी वर्षों के लिए अपनी जनशक्ति आवश्यकताओं का पूर्वानुमान काफी पहले से लगाए ताकि रिक्त पदों को वर्षों तक नहीं भरने से बचा जा सके।

अध्याय-दो

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

पूंजीगत व्यय के लिए उच्च बजट आवंटन

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु राजस्व व्यय के लिए कुल आवंटन करोड़ 14.73 आवंटन लिए के व्यय पूंजीगत जबकि था रुपए करोड़ 5216.33 था रुपए करोड 5426.00 आवंटन लिए के व्यय राजस्व लिए के 21-2020 वर्ष वित्त ;रुपए रु बजट राजस्व लिए के 22-2021 वर्ष वित्त और;करोड़ 17.95 व्यय गतपूंजी जबकि. करती नोट समिति है। रुपये करोड़ 13.04 यह लिए के व्यय पूंजीगत जबकि करोड़ 1396.09 में तुलना की परिव्यय बजट लिए के व्यय राजस्व आवंटन बजट लिए के व्यय पूंजीगत कि है की संरचना की ढांचे प्रशासनिक अपने मंत्रालय कि है चाहती समिति है। रहा कम लगातार अपने और करे समीक्षाआदेश को पूरा करने के लिए जनशक्ति संसाधनों और प्रशासनिक स्थापना के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में खुद को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करें ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय क्षमता विकास योजना के अंतर्गत अपनी प्रशासनिक और अन्य आवश्यकताओं की समीक्षा करता है और अपने कार्यालय भवनों के लिए भूमि प्राप्त करने और उनके निर्माण के लिए कदम उठाता है । यह बताया जाता है कि शीर्ष ''पूंजी'' के अंतर्गत आवश्यकताओं का उपयोग भूमि को खरीदने, चार-दीवारी और ढांचे इत्यादि के निर्माण के लिए किया जाता है ।

मंत्रालय की बेहतर कार्यप्रणाली हेतु भूमि, भवन और उपेक्षित पूंजीगत परिसंपत्तियां प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं । मंत्रालय द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए वर्ष 2021-26 हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन में अतिरिक्त बजटीय परिव्यय प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

मंत्रालय द्वारा अपने आदेश को पूरा करने के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे की संरचना की समीक्षा करने और अपने आपको जनशक्ति संसाधनों और प्रशासनिक स्थापना के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में

पर्याप्त रूप से सुसज्जित रखने की सलाह नोट की गई है । मंत्रालय अपने प्रशासनिक ढांचे की संरचना की नियत समय पर समीक्षा करेगा और समिति को सूचना देगा । मंत्रालय द्वारा अपने आदेश को पूरा करने के लिए जनशक्ति संसाधनों औरा प्रशासनिक स्थापना के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में किए गए प्रयासों की नीचे संस्तुति 5 के उत्तर विवेचना की गई है ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का. ज्ञा. सं. एच-11011/03/2021- संसद सेल
दिनांक 09.06.2021

सिफारिश (क्रम संख्या 2)

'पेशेवर सेवाओं' के लिये बजट का आवंटन

कुल योजना बजट जो कि के योजना (सीडी) विकास क्षमता से में ,था का.रु करोड़ 646.96 और हैं। गए किए निर्धारित रुपये करोड़ 593.36 लिए593 36.करोड़ रुपए में से एससी योजना के लिए आवंटित 8.87 ,करोड़ रुपये 309 और लिए के 'व्यय 'वेतन'.14 करोड़ रुपये क् 'सेवाओं पेशेवर'रमशः पर खर्च के लिए निर्धारित किए गए हैं। व्यावसायिक सेवाओं के लिए बजट आवंटन प्रस्तुत में संबंध इस ने मंत्रालय है। अधिक गुना 34 से बजट के 'वेतन' व्यय और ,हैं गए किए सर्वेक्षण वार्षिक अतिरिक्त से माध्यम के कर्मचारियों संविदा कि है किया तक अभी में भर्ती जनशक्ति नियमित अनुशंसित यथा द्वारा 18-2017 (ईएफसी) समिति वित्त था। गया किया भुगतान से शीर्ष 'सेवा पेशेवर' को कर्मचारियों संविदा है। आई नहीं तेजी जिनमें हैं होती की प्रकृति सामयिक गतिविधियां तहत के शीर्ष इस कि कहा आगे ने मंत्रालय की विशेषज्ञता तकनीकी और कुशल आवश्यकता होती है। इसलिए स्थापना स्थायी में मंत्रालय , जो ,है जाता किया पूरा से अच्छे सबसे को आवश्यकताओं से शीर्ष सेवा व्यावसायिक बजाय के पर आधार आकस्मिक कि है उम्मीद को समिति है। करता उपगत व्यय कम अनुसार उनके ए से नियुक्ति की तरह इस की कर्मचारियों संविदाकत्रित और प्रसारित आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध पेशेवर विशेषज्ञता का लाभकारी उपयोग किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर:

मंत्रालय अपने विभिन्न आदेशों को पूरा करने में अपनी पेशेवर दक्षता का उपयोग करता है; जिसमें विभिन्न सर्वेक्षण उपकरणों को डिज़ाइन करना, सर्वेक्षण और अन्य सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा, विभिन्न मैक्रोइकॉनोमिक सूचकांकों का संकलन/आकलन, अधययन करना, परियोजना

प्रबंधन, आरएफपी डिज़ाइन करना और सरकारी सांख्यिकी के प्रसार के लिए गतिविधियां इत्यादि शामिल हैं ।

सांख्यिकीय गतिविधियों की योजना को अंतिम रूप देने और सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समूह/कार्यकारी समूह समितियां भी गठित की गई हैं । अपनी सांख्यिकीय और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यकतानुसार संविदारत/आउटसोर्स कर्मचारियों को भी काम पर रखता है; जिसके लिए "व्यवसायिक सेवाएं" शीर्ष से भुगतान किया जाता है । संविदारत/आउटसोर्स विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें हस्तचालित उपकरणों और संबंधित विभागों की सम्पूर्ण जानकारी से परिचय करवाने के साथ कार्य के महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है ।सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा और क्षेत्रीय निरीक्षण सहित पर्यवेक्षण भी किया जाता है ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का. ज्ञा. सं. एच-11011/03/2021- संसद सेल
दिनांक 09.06.2021

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

मुख्य शीर्ष 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन

मुख्य शीर्ष 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत वित्तीय वर्ष आवंटन लिए के योजना हेतु 19-2018 के योजना गैर और.रु करोड़ 20.80लिए लिए के 20-2019 वर्ष वित्त ;रु करोड़ 4.10 21-2020 ;करोड़ 22.42 लिए के योजना गैर और रु और करोड़ 27 हेतु योजनाके लिए योजना हेतु 40.10 तुहे योजना अनुमान बजट लिए के 22-2021 वर्ष वित्त और करोड़ 32 ल से 19-2018 वर्ष वित्त कि है गया देखा यह है। रु करोड़गातार सभी वर्षों तक बजट अनुमान स्तर पर आवंटन करने के बावजूद लिए के 21-2020 और 20-2019 ,19-2018 ,पर पूछने कारण के उपयोग 'शून्य' बावजूद के आवंटन बजट है। रहा 'शून्य' वास्तविक अंतर के शीर्ष इस और है शीर्ष कार्यात्मक-गैर एक 2552 शीर्ष मुख्य' कि कहा ने मंत्रालय्गत कोई व्यय नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस शीर्ष के अधीन आवंटित निधियों का उपयोग करने के लिए निधियाँ अन्य कार्यात्मक शीर्ष जैसे प्रमुख शीर्ष से 3435 कि है चाहती समिति लगा। अस्पष्ट। सुझाव का मंत्रालय को तिसमि है। जाती की विनियोजित मंत्र◌ालय को किसी अन्य लेखा शीर्ष की तरह मुख्य शीर्ष लिए के बनाने क्रियाशील को 2552 बचना से अस्पष्टता की प्रकार भी किसी में प्रक्रिया बजटीय अपने और चाहिए उठाने कदम उचित चाहिए।

सरकार का उत्तर

वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार मुख्य शीर्ष - 2552पूर्वोत्तर क्षेत्र एक गैर है शीर्ष कार्यात्मक-है। आवश्यक जाना दिया से अलग आवंटन लिए के क्षेत्र पूर्वोत्तर तहत के योजना अंतर्गत जिसके जाता किया विनियोजित :पुन में शीर्षों कार्यात्मक जैसे 3454 को निधियों इन ,लिए के उपयोग परिणामस जिसके ,है◌्वरूप मुख्य शीर्ष है। होता परिलक्षित व्यय शून्य अंतर्गत के शीर्ष 2552

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का. ज्ञा. सं. एच-11011/03/2021- संसद सेल
दिनांक 09.06.2021

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

समिति भली (एमपीलैड्स) योजना विकास क्षेत्र थानीयस् यसदस् संसद कि है जानती भांति-कंधस् वयनकार्यान् कार्यक्रम के (एमओएसपीआई) मंत्रालय वयनकार्यान् कार्यक्रम और यिकीसांख् द्वाराकार्यान्वित एक चालू केंद्रीय क्षेत्र योजना है । एमपीलैड्स में लोकसभा और राज्य सभा दोनों के की (वर्ष प्रति) यसदस् संसद प्रति .रु करोड़ 5 लिए के योंसदस् संसद माननीय 790 यिकीसांख् । है नियत आवंटन वार्षिक का धनराशि की .रु करोड़ 3950.00 अनुसार के पात्रता और कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा अनुदानों के लिए मांग में लेषणविश् और सार के (22-2021) गई की जारी लिए के प्राधिकरणों जिला द्वारा सरकार भारत कि है गया किया लेखउल् यह प्रयोग हेतु वर्षों के बाद को निधियों बची में जिलों प्रकार इस और हैं नहीं यपगतव् निधियां कि◌या जा सकता है । इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा गैर निर्धारित को निधियों तनिर्मुक्-भी यह ने समिति । जाएगा किया जारी में वर्षों के बाद यधीनअध् के करने पूरा को दंडोंमान वर्ष में तुलना की .रु करोड़ 5012.13 दौरान के 19-2018 वर्ष ययव् निधि कि है पाया 20-2019में 19-2018 वर्ष ययव् निधि में 20-2019 वर्ष अर्थात था .रु करोड़ 2491.45 49.70 केवल का ययव् निधि में% था । समिति यह भी समझती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 अप्रैल, अर्थात वर्षों वित्तीय 2 को परिचालन के एमपीलैड्स में अनुसरण के निर्णय के 2020 -कोविड महामारी विकवैश् और है गया दिया कर निलंबित लिए के 22-2021 और 21-2020 19के प्रबंधन के लिए 21-2020) .रु करोड़ 3950का बजट आकलन के परिव्यय को दिनांक अप्रैल 8, महामारी विकवैश् । है गया दिया रख पर निपटान के विभाग ययव् को 2020 19-कोविडके प्रबंधन के लिए व्यय विभाग के निपटान पर एमपीलैड्स निधियों को रखने हेतु मूल कारण को स्वीकार करते हुए समिति इस बात पर प्रकाश डालना चाहेगी कि वर्ष -2019 हैं परियोजनाएं एमपीलैड्स कई ऐसी में वर्षों वित्तीय विगत और 20, जो संस्वीकृत पत्र जारी किए जाने के बावजूद बीच में ही अधूरी छोड़ दी गई थीं और दिनांक अप्रैल 6, को 2020 । थीं गई दी रोक निधियां लिए के परियोजनाओं इन हुए देते हवाला का निर्णय के मंत्रिमंडल के वर्ष वित्तीय पिछले जो है सकता कर विचार पर करने जारी को निधियों उन मंत्रालय इसलिए थीं गई की वीकृतसंस् विधिवत लिए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पहले से जारी की गई निधियों को बिना किसी विलंब के उपयोग किया जाए । इस प्रकार के व्यय से उन लोगों पर सकारात्मक असर पड़ने की आशा है जो देशभर में फैली वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित

हुए हैं । समिति इस संबंध में बताना चाहेगी कि एमपीलैड्स परियोजनाओं ने अपनी शुरूआत से ही, जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट,2020-21 में उल्लिखित है, विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं यथा पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैरऊर्जा पारंपरिक-, सामुदायिक केंद्रों, जल, पुस्तकालय, बस अड्डा, स्टॉप, रोड, सड़क मार्ग और पुल, खेल आदि को पूरा करके स्थानीय समुदाय को लाभान्वित किया है । समिति महसूस करती है कि एमपीलैड्स योजनाएं निश्चित रूप से वैश्विक महामारी कोविड 19-से प्रभावित स्थानीय समुदाय को राहत देने में मदद कर सकती है । इसलिए समिति मंत्रालय से कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से मिलकर कार्य करने का आग्रह करना चाहेगी ताकि पिछले वर्षों के लिए पहले से ही संस्वीकृत निधियां आगामी वित्तीय वर्षों के लिए प्रभावी रूप से उपयोग की जा सकें । लंबित निधियां उन परियोजनाओं से संबंधित हैं जिसके लिए माननीय सांसद जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसलिए इन निधियों को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर:

वित्त वर्ष 31.03.202 अंतर्गत के एमपीलैड्स दौरान के 21-20200 तक की अनिर्मोचित किश्तों का मामला बार(दोनों सभा राज्य और लोकसभा) एमपीलैड्स बार-पर समिति समिति प्रक्कलन , विशेष इसमें और था गया उठाया द्वारा समिति संयुक्त पर भत्ते और वेतन के सदस्यों संसद और कि अनिर्मोचित अनुसार के स्थिति की 31.03.2020 कि था वांछित से रूपश्तों के मामले को व्यय विभाग,नियम आबँटन र्यका अधिदेश जिसका ,चाहिए जाना उठाया साथ के मंत्रालय वित्त , 1961के अनुसार बाद के वित्त आयोगों द्वारा उन्नयन अनुदानो और निकायों स्थानीय/ग्रामीण , किश अनिर्मोचित ऐसी है। करना जारी सहायता केंद्रीय लिए के अनुदानों अन्य्तों को जारी करने के लिए बहुत से संसद सदस्यों से निरंतर आधार पर अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

व्यय विभाग के दिनांक -पीएफ/(02)56 .सं .ज्ञा.का के 16.03.2021II/2006(पार्ट (गई की आवंटित साथ के शर्तों निम्नलिखित राशि की रुपये करोड़ 2200 कुल को मंत्रालय द्वारा :थी

(i)लोकसभा सदस्यों के संबंध में पहली को निर्मोचन के किश्तों लंबित लिए के 20-2019 ;मिलेगी प्राथमिकता

(ii) राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में 2019-20 के लिए लंबित किश्तों को जारी करने को पहली प्राथमिकता मिलेगी;

(iii) मंत्रालय पूर्व सदस्यों के खातों के नियोजन और उन्हें बंद करने की चल रही प्रक्रिया को जारी रखेगा क्योंकि पूर्व वर्षों के लिए कोई निर्मोचन नहीं किए जाएंगे;

(iv) मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में इस आशय के संशोधन पर विचार करेगा कि यदि किसी सांसद द्वारा स्वीकृत कार्य को पांच साल तक नहीं किया जाता है ही स्वतः यह तो , दिशानिर्देशों एमपीलैड्स ही भले और जाएगा हो समाप्तके पैरा से 4.7 रापै और 2.64.10 के अधीन काम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध देयता हो।

मंत्रालय से छह महीने के भीतर उपरोक्त)iii) और)iv) कार्य पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

व्यय विभाग के दिनांक 16.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 22.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा मंत्रालय को 2200 करोड़ रु. आबंटित किए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में आबंटित राशि को खर्च करने/निकासी का निदेश दिया, ताकि राशि व्यपगत न हो सके । मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में आवंटित 2200 करोड़ रु. के उपयोग और लंबित किस्तों को अधिकतम संख्या में जारी करने के लिए अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास किए हैं ।

व्यय विभाग के दिनांक 16.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 56(02)/पीएफ-II/2006 (पार्ट) में निर्धारित निर्मोचन के लिए शर्तों के अनुसरण में मंत्रालय ने 2200 करोड़ रु. की आबंटित धनराशि में से **1107.5 करोड़ रु. (=443 किस्तें)** जारी की हैं । इन 1107.5 करोड़ रु. में से, 900 करोड़ रु. वर्ष 2019-20 की लंबित किस्तों के लिए जारी किए गए और 207.5 करोड़ रु. लोक सभा और राज्य सभा सांसदों के लिए नोडल जिला प्राधिकारियों हेतु पिछले वर्षों की लंबित किस्तों के लिए जारी किए गए । समिति इस बात की सराहना करती है कि दिनांक 22.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त आबंटन पत्र के अनुसार मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 के विगत कुछ दिनों में 1107.5

करोड़ रु. जारी करने में सक्षम हो गया है । आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार शेष निधि (2200 करोड़ रु. – 1107.5 करोड़ रु. **= 1092.50 करोड़ रु.)** 31.03.2021 को व्यपगत हो गई ।

मंत्रालय उन सभी किस्तों का भुगतान करने में भी सक्षम था जिनके लिए एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड पूरे किए गए थे और सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध थे । दिनांक 31.03.2021 अपराह्न तक मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए सभी निर्मुक्ति प्रस्ताव, जो पात्र पाए गए, का भुगतान कर दिया गया है । केवल वे प्रस्ताव, जो दस्तावेजों की कमी और एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा न करने के कारण पात्र नहीं पाए गए तथा वे जिले, जहां पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा चुनाव और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उप चुनावों के कारण आचार संहिता लागू की गई थी, मंत्रालय लंबित किस्तें जारी करने में सक्षम नहीं था ।

तथापि, दिनांक 7 अप्रैल 2021 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, मंत्रालय ने व्यय विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष निधियों का आबंटन करने का अनुरोध किया है ताकि मंत्रालय द्वारा शेष लंबित किस्तें जारी की जा सकें । दिनांक 31.03.2021 तक देय शेष लंबित एमपीलैड्स किस्तें, मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय से आबंटित धनराशि की प्राप्ति और एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड तथा पात्रता दस्तावेजों के पूरा करने के अध्यधीन जारी की जाएंगी ।

मंत्रालय राज्यों और नोडल जिलों के साथ निरंतर सम्पर्क में है ताकि एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोडल जिला प्राधिकारियों के लिए एमपीलैड्स द्वारा जारी की गई निधियों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके और सभी प्रतिबद्ध देयताओं का शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रूप से भुगतान किया जा सके तथा चालू कार्यों को पूरा किया जा सके ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का. ज्ञा. सं. एच-11011/03/2021- संसद सेल
दिनांक 09.06.2021

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

समिति लंबे से महसूस हो रही कर्मचारियों की कमी के विषय में चिंतित है । उदाहरण के लिए क्षेत्र संकार्य प्रभाग यासंख् वीकृतस् की कर्मचारियों कार्यरत में 20-2019 वर्ष में (एफओडी) थी 3121 संख्या यह में तुलना की 4389, वर्ष की 4385 यासंख् वीकृतस् यह में 21-2020 में तुलना की 4346 यासंख् वीकृतस् यह में 22-2021 वर्ष और थी 3453 संख्या यह में तुलना थितिस् की कर्मचारियों में कंधोंस्/विभागों यअन् के मंत्रालय । है 3256बिल्कुल ऐसी ही है । कर्मचारियों की इस कमी के लिए मंत्रालय ने कारण बताया है कि पिछले दो वर्षों में अनेक अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग तरिक् अभी द्वारा (डीओपीटी) भरे द्वारा सएससीए/यूपीएससी पद कुछ अनुसार के नियमों भर्ती तथा है जाना भरा को पदों । हैं जाने

यद्यपि मंत्रालय ने अपने यहां कर्मचारियों की कमी के अनेक कारण बताएं हैं फिर भी समिति का विचार है कि मंत्रालय ने मानव संसाधन नियोजन और विकास के संबंध में पर्याप्त कार्य नहीं किया है । अत अपनी को मंत्रालय वयनकार्यान् मकार्यक्र और यिकीसांख् कि है चाहती समिति : पर नीति तिशक् श्रम अधिक ध्यान देना चाहिए और मंत्रालय में अनेक वर्षों तक रिक्त पदों को खाली छोड़ने से बचना चाहिए ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:

- प्रवेश स्तर पर अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा अधिकारी सांख्यिकी कनिष्ठ के संवर्ग (एसएसएस) के (जेएसओ) पद खुली प्रतियोगिता नामत: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा (एसएससी) हैं जाते भरे से माध्यम के (सीजीएलई) परीक्षा स्तरीय स्नातक संयुक्त आयोजित। कर्मचारी चयन आयोग)एसएससी(को कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के स्तर पर रिक्तियों की भर्ती के लिए नियमित रूप से सूचित किया जाता है। एसएससी को वर्ष लिए के 2020 और 2019 जेएसओ पर आधार के 2018 सीजीएलई है। चुकी जा दी ही पहले को सूचना की रिक्तियों यथा दस्तावेज आवश्यक और नामांकन काउन को मंत्रालय इस से एसएससी नियुक्ति पर पद के जाएगी। की शुरू बाद के होने प्राप्त आदि डॉसियर

- वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी हर मंत्रालय हैं। पद प्रमोशनल के जेएसओ पद के (एसएसओ) 2021 वर्ष सके। जा की कारवाई पर समय में सम्बन्ध के पदोन्नति कि है करता प्रयास संभव की पदोन्नति लिए के भरने को रिक्तियों अपेक्षित सभी पर स्तर के एसओएस से जेएसओ में प्रक्रिया पहले से ही प्रक्रियाधीन है।
- एसएसएस के भर्ती नियमों में संशोधन भी प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है 1
- यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एसएसएस अधिकारियों के वेतनमान उसी प्रकार के संगठित समूह जो ,हैं नहीं अनुरूप के सेवाओं बी-एसएसएस में उच्च संघर्शण दर के प्रमुख कारणों में से एक है। सेवाको और अधिक आकर्षक बनाने के लिए और जेएसओ के स्तर पर संघर्शण की दर को कम करने के लिए इस ने लयमंत्रा कार्यान्वयन कार्यक्रम और सांख्यिकी , -2010/02/12035 संख्या नोट आईडी के मंत्रालयएसएसएस दिनांक द्वारा के 05.09.2016 से रुपये 4200 को पे ग्रेड में (सीओएस) समिति की सचिवोंबढ़ाकर के करने रुपये 4600 है। प्रतीक्षित भी अभी निर्णय का सीओएस ,था उठाया को मुद्दे
- इस मंत्रालय का यह सुविचारित मत है कि एसएसएस के जेएसओ को - लेवल) रुपये 4600 ग्रेड का (7वेतन (जीपी)और एसएसएस के एसएसओ को ग्रेड का (8- स्तर) रुपये 4800 प्रदा वेतनन करना एसएसएस कीउच्च संघर्शण दर को प्रभावी ढंग से कम करने में सहायक होगा और इससे सेवा को और अधिकआकर्षक बनाया जा सकता है। सेवा को अधिक आकर्षक बनाने और पुनरावृत्ति दर को कम करने केलिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से समान रूप से संगठित समूह बी सेवाओं के समान वेतन स्तर उन्नयन कामामला विचाराधीन है।
- एसएसएस प्रभाग सहभागी संगठनों के साथ मंत्रणा कर रहा है ताकि देश की सांख्यिकीय प्रणाली केक्षेत्रबुनियादी/स्तर के सांख्यिकीय कार्यकर्ताओं की जनसंसाधन के प्रबंधन को सरल बनाने के लिए संवर्गसमीक्षा के प्रस्ताव परकार्रवाई की जाए।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और है संवर्ग-उप एक का मंत्रालय गृह , ,इसलिए

अधिकारीसीएसएस) सेवा सचिवालय केंद्रीय कर्मचारी/) (सहायक अनुभाग अधिकारी ,(केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा)सीएसएसएस) (आशुपीए और डी-) के अधिकारीऔर कर्मचारी/

केंद्रीयसचिवालय लिपिक सेवा)सीएससीएस) (वरिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (कोइस मंत्रालय के प्रशासन -II अनुभाग में गृह मंत्रालय द्वारा तैनात किया जाता है। पिछले दो वर्षों मेंइन ,संवर्गों के कई अधिकारियों की सेवानिवृत्तिस्वैच्छिक/ सेवानिवृत्तिस्थानांतरण पर पदोन्नति/पदोन्नति/मृत्यु/हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कई पद खाली पड़े हैं और गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें नहीं भरा गयाहै।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उप मामले संबंधित से करने अलग को संवर्ग-कोकार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपी)&टी) के साथ उठाया गया है। नियमित पत्राचार भेजने के साथडीओपी साथ-&टीऔर गृह मंत्रालय के साथ बैठक कर मामले में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से आवश्यक जानकारी डीओपी&टीको पहले ही प्रदान कर दी गई है। डीओपी&टीके पास मामला फिलहाल लंबित है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को पदों पड़े रिक्त के ग्रेड एसएमटी में (मुख्य) के भरनेसंबंध में ,एमओएस एंड पीआई भरने को पदों रिक्त 33 में ग्रेड एमटीएस में (मुख्य) कर्मचारी लिए केचयन आयोग को पहले ही मांग भेजी जा चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग के जवाब का अभी भी प्रतीक्षितहै।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का. ज्ञा. सं. एच-11011/03/2021- संसद सेल दिनांक 09.06.2021

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

समितियां सहर्ष नोट करती है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद के दायरे और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक पहल निजी । हैं रही उठा कदम/ पर थानस् के (एएसआई) सर्वेक्षण वार्षिक औद्योगिक लिए के लेन सुधार में कवरेज की क्षेत्र 21-एमसीएनामक एक नया आंकड़ा स्रोत शामिल किया गया था । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने सूचित किया कि जीएसटी डाटा, सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई), आवधिक

श्रम बल सर्वेक्षण को यादिइत् (पीएएमएस) प्रणाली प्रबंधन वित्त सार्वजनिक और (पीएलएफएस) वर आधार अगला कर शामिलष् संशोधन संबंधी प्रयास प्रक्रियाधीन हैं । समिति आशा करती है कि आगामी जीडीपी आंकड़ों में आर्थिक गतिविधियों और सेवाओं की व्यापक और विविधतापूर्ण रेंज पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होगी जिससे सारी प्रक्रिया और अधिक प्रमाणिक लगेगी । समिति इस संबंध में नीति आयोग से बेहतर समन्वय और संबंधों की भी आशा करेगी ताकि नीति संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का सरलीकरण किया जा सके ।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय की ओर से सिफारिशवर्ष आधार अगले पर आधार के अवलोकन/में संशोधन के लिए किए जा रहे प्रयासों को छोड़कर विशेष रूप से अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, में रूप के अवलोकन को प्रयासों इन पर आधार के सूचना गई कराई उपलब्ध द्वारा मंत्रालय विविध के सेवाओं और गतिविधियों आर्थिक तक जहां है। गया किया शामिलप्रकार के सम्बन्ध में व्यक्त की गई आशा का संबंध है डेटा के प्रकार विभिन्न लिए के संकलन के जीडीपी मंत्रालय , पह सारे के गतिविधियों आर्थिक केवल उपयोग कालुओं को व्यापक रूप से कवर करने के लिए करता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का.ज्ञा. सं. एच-11011/03/2021- संसद सेल
दिनांक 09.06.2021

अध्याय – तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय – चार

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

-शून्य-

अध्याय – पाँच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
29 जुलाई,2021
7 श्रावण, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा,
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21)की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरूवार, 29 जुलाई, 2021 को 1430 बजे से 1500 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी
7. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
8. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री मनीष तिवारी
10. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

11. श्री ए. नवनीतकृष्णन
12. डॉ. अमर पटनायक
13. श्री महेश पोद्दार
14. श्री सी.एम. रमेश
15. श्री जी.एल.वी. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने, निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया। तत्पश्चात् समिति ने विचार करने और स्वीकार करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को लियाः-

(i) 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन : समस्याएँ और समाधान' विषय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय का 32वां प्रतिवेदन।

(ii) 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र – बैंकों/वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों सहित मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य की राह' विषय पर अड़सठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा 33वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iii) 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण' विषय संबंधी वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग) और वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा 34वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iv) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 35वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(v) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 36वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 37वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vii) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 38वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(viii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 39वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

कुछ चर्चा के बाद, समिति ने, उक्त प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए, सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

परिशिष्ट

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेष्ण।

		कुल	कुल का प्रतिशत
(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	06	
(दो)	सिफारिशे/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (देखिए सिफारिश क्रम सं. 1, 2, 3, 4, 5 और 6)	06	100.00%
(तीन)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	शून्य	--
(चार)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं (देखिए सिफारिश क्रम सं.4)	शून्य	--
(पाँच)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	शून्य	--